रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2001/माघ 23, 1922

No. 70] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2001/MAGHA 23, 1922

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2001

सा.का.नि. 93(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2001 निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 52 की उपधारा (1) और धारा 110 के साथ पठित धारा 64 के खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

इन नियमों पर आक्षेप या सुझाव, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं। किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (··· ····· ··· संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक मास पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2 केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"115ग द्रव पैट्रोलियम गैस (एल पी जी) द्वारा चालित यानों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक :—

(1) (क) ऐसी दशा में, जहां नए पेट्रौल यानों पर, यान विनिर्माता द्वारा द्रव पैट्रोलियम गैस फिटमेन्ट की जाती है, वहां यान विनिर्माता द्वारा बनाया गया प्रत्येक माडल, विद्यमान टाइप अनुमोदन उत्सर्जन मान और यथा लागू इन नियमों के अनुसार अनुमोदित टाइप का होगा।

(ख) ऐसे यान का आधारिक मॉडल और रूपांतरित मॉडल यथा लागू इन नियमों और इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट पैट्रोल मॉडल में टाइप अनुमोदन उत्सर्जन मानों के अनुरूप होंगे। द्रव पैट्रोलियम गैस मॉडल की दशा में, यान केवल क्रेंककेस और वाष्पणिक उत्सर्जन मानों को छोड़कर नियम 115 में यथाविनिर्दिष्ट द्रव्यमान उत्सर्जन मानों का पालन करेगा।

(ग) किसी यान के ऐसे आधारिक मॉडल और उसके उपांतरित मॉडल को, जब वे पेट्रोल प्रकार के हों और जब चार पहिए, तिपहिए और दुपहिए यानों में क्रमशः 5 लीटर, 3 लीटर और 2 लीटर से अनधिक क्षमता की पैट्रोल टंकी लगी हो, इस नियम में यथाविनिर्दिष्ट द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण, क्रेंककेस उत्सर्जन परीक्षण और वाष्पणिक उत्सर्जन परीक्षण से छूट प्राप्त होगी, किन्तु वे यथा लागू इन नियमों के अन्य उपबंधों का अनुपालन करेंगे।

(घ) ऐसे यान, दोनों तरह के ईंधन जैसे द्रव पैट्रोलियम गैस (एल पी जी) और पैट्रोल पर चलने में सक्षम होंगे।

(ङ) उत्पादन की विद्यमान अनुरूपता प्रक्रिया भी लागू होगी।

2. ऐसे पैट्रोल वाहनों, जो उपयोग में हैं, के अनुरूपांतरणों की दशा में,—

(क) ऐसे यान, जो उपयोग में हैं, और जिनमें द्रव पैट्रोलियम गैस किट लगी हैं, ऐसे उत्सर्जन मानों का पालन करेंगे जो इन नियमों में, वर्ष 1997 के दौरान इन नियमों के अधीन यथा लागू उत्पादन की न्यूनतम अनुरूपता (सी ओ पी) मानों के अधीन रहते हुए, गैसोलीन यानों के लिए यान के उत्पादन के वर्ष अनुरूप विद्यमान मानों को यथा लागू हैं। 1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च 1996 के दौरान विनिर्मित यानों के लिए वर्ष 1991 के दौरान इन नियमों के अधीन लागू टाइप अनुमोदन मान लागू होंगे। 1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 2000 के दौरान विनिर्मित यानों को, वर्ष 1996 के दौरान इन नियमों के अधीन यथा लागू टाइप अनुमोदन मान लागू होंगे। 1 अप्रैल, 2000 के पश्चात् विनिर्मित यानों को 1 अप्रैल, 2000 को इन नियमों के अधीन लागू उत्सर्जन मानों का अगला प्रवर्तन, टाइप अनुमोदन मान लागू होंगे। द्रव पैट्रोलियम गैस किट अनुमोदन के प्रयोजनों के लिए, किट प्रदायकर्ता, नियम 126 के अधीन किसी प्राधिकृत परीक्षण अभिकरण से प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा।

(ख) उपयोगरत गैसोलीन यान पर द्रव पैट्रोलियम गैस किट अनुरूपांतरण के लिए, गैसोलीन मॉडल पर कोई द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण नहीं किया जाएगा।

(ग) ऐसा यान, दोनों तरह के ईंधन जैसे द्रव पैट्रोलियम गैस और पैट्रोल पर चलने के लिए सक्षम होगा।

(घ) इन नियमों के अधीन उत्पादन की विद्यमान प्रक्रिया अनुरूपता भी लागू होगी।

(ङ) किटों के पृथक किस्म के अनुमोदन की कारबुरेटेड और इलैक्ट्रानिकी नियंत्रित गैसोलिन ईंधन से भरे हुए यानों के लिए तब अपेक्षा की जाएगी जब द्रव पैट्रोलियम गैस (एल पी जी) चालन के लिए संपरिवर्तित किया गया हो।

(3) ऐसे यान के किसी विनिर्दिष्ट मॉडल और ईंधन क्षमता के लिए गैसोलीन यान पर अनुमोदित द्रव पैट्रोलियम गैस किट यान मॉडल के विभिन्न दाब और इसके रूपांतरण पर इस शर्त के अधीन रहते हुए लगाया जाएगा कि अनुरूपान्तरण के प्रयोजनों के लिए द्रव्य पैट्रोल गैस किट की विधिमान्यता निकृष्ट अवस्था मान सिद्धांत पर आधारित हो अर्थात् यदि किट वर्ष 1995 में विनिर्मित विनिर्दिष्ट मॉडल और यान की विनिर्दिष्ट इंजन क्षमता के लिए अनुमोदित की जाती है और वर्ष 1991 के दौरान इन नियमों के अधीन लागू उत्पादन अनुरूपता (सी ओ पी) मानों (गैसलीन) का पालन करता तो वही किट वर्ष 1985 से 1991 के दौरान विनिर्मित वैसे ही मॉडल और इंजन क्षमता के किसी भी यान पर लगाई जा सकती है। वर्ष 1991 से 1996 के दौरान विनिर्मित यान के लिए यदि 1 अप्रैल, 1991 के पश्चात् विनिर्मित यान के संबंध में अनुमोदित हो जाती है और 1 अप्रैल, 1991 को इन नियमों के अधीन लागू किस्म अनुमोदन मानों का पालन करती है तो वही किट वर्ष 1991 से 1 अप्रैल, 1996 के दौरान विनिर्मित उसी मॉडल और इंजन क्षमता पर लगाई जा सकती है। ऐसा सिद्धांत 1 अप्रैल, 1996 से 1 अप्रैल, 2000 के बीच की अवधि के दौरान विनिर्मित यानों की बाबत भी लागू किया जाएगा।

(ख) विशेष छूट 1 अप्रैल, 1991 के पश्चात् विनिर्मित यानों पर फिट की गई किटों के लिए उपलब्ध होगी। यदि वर्ष 1991 में और 1 अप्रैल, 1991 के पश्चात् विनिर्मित किसी यान पर फिट की गई कोई किट, इन नियमों के अधीन इंडिया प्रक्रम 1 या भारत प्रक्रम-2 मानों का पालन करता है तो वही किट क्रमशः ऐसे इंडिया प्रक्रम 1 या भारत प्रक्रम-2 मानों की विधिमान्यता तक विनिर्मित अपने रूपान्तरणों सहित उसी मॉडल और इंजन क्षमता, पर लगाई जा सकती है। यदि 1 अप्रैल, 1991 के पश्चात् और 1 अप्रैल, 2000 से पूर्व विनिर्मित किसी यान में लगाई गई किट, इन नियमों के अधीन ऐसी अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट किसी भी मान का पालन करती है तो वही किट 1 अप्रैल, 1991 से 1 अप्रैल, 2000 के बीच विनिर्मित किसी यान पर लगाई जा सकती है।

(ग) नए यान फिटमेंट के लिए, इन नियमों के अधीन किस्म अनुमोदन और इसके निरंतर अनुपालन का उत्तरदायित्व यान विनिर्माता पर होगा। प्रयोगरत यानों पर किट के अनुरूपांतरण के लिए इन नियमों के अधीन टाइप अनुमोदन और इसके निरंतर अनुपालन का उत्तरदायित्व, यथा स्थिति, किट विनिर्माता या किट के आयातकर्ता पर होगा।

4 (क) इन नियमों के अधीन द्रव पैट्रोलियम गैस किट अनुरूपांतरण का टाइप अनुमोदन ऐसे अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और एक बार में तीन वर्ष के लिए नवीकरणीय होगा।

(ख) इन नियमों के अधीन उपयोगरत यानों के लिए द्रव पैट्रोलियम गैस किटों का अनुरूपांतरण ऐसे किट विनिर्माता या किट प्रदायकर्ता द्वारा प्राधिकृत कार्यशालाओं द्वारा किया जाएगा, जिन्हें उन शर्तों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाए।

(ग) द्रव पैट्रोलियम गैस संपरिवर्तित यानों के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं तथा अन्य प्रक्रियाएं या मार्गदर्शी सिद्धांत वे होंगे जो यानों की सुरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए उत्सर्जन मानों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।

(घ) इन नियमों के अधीन किसी किट के संपरिवर्तन का टाइप अनुमोदन अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा तब प्रति संहृत किया जा सकेगा जब किट या इसका कोई घटक सर्विस में या संपरिवर्तन किट के उपयोग की पारिस्थितियों में असुरक्षित पाया जाता है या इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट इसके किसी घटक किट से परिवर्तित किया जाता है"।

[फा. सं. आरटी-11011/33/2000-एम वी एल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम, भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा. का. नि. 642(अ) तारीख 28 जुलाई, 2000 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2001

G.S.R. 93(E).— The following draft of the Central Motor Vehicles(Amendment) Rules, 2001 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (p) of Section 64 read with sub-section (1) of Section 52 and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988(59 of 1988) to amend the Central Motor Vehicle Rules, 1989 is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of the period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the Public.

The objections or suggestions to these rules may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, New Delhi, within the above specified period. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles(th Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force after one month from the date of their final Publication in the Official Gazette.

2. After rule 115B of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the following rule shall be inserted, namely:-

"115C. Mass emission standards for Liquid Petroleum Gas (LPG) driven vehicles:-

(1) (a) In case of liquid petroleum gas fitment done by vehicle manufacturers on new petrol vehicles, each model made by vehicle manufacturer shall be as type approved as per prevailing type approval emission norms and these rules as applicable.

(b) Base model and variants of such vehicle shall conform to these rules as applicable and type approval emission norms in petrol mode as specified in these Rules. In the case of Liquid Petroleum Gas mode, it shall meet mass emission norms as specified in rule 115 only excluding crankcase and evaporative emission norms.

(c) A vehicle base model and its variants fitted with petrol tank of capacity not exceeding 5 litres, 3 litres and 2 litres on 4-wheeler, 3-wheeler and 2-wheeler respectively shall be exempted from mass emission tests, crank case emission test and evaporative emission test in petrol mode as specified in these rules, but shall comply with other provisions of these rules as applicable.

(d) Such vehicle shall be capable of bi-fuel operation such as Liquid Petroleum Gas (LPG) and petrol.

(e) Prevalent Conformity of Production (COP) Procedure shall also be applicable.

(2) In case of retrofitment of in-use petrol vehicles,-

(a) the in-use vehicles fitted with liquid petroleum gas kits shall meet the emission norms specified in these rules for gasoline vehicles as applicable to the prevailing norms corresponding to the year of manufacture of vehicles subject to minimum Conformity of Production (COP) norms as applicable under these rules during the Year 1991. For the vehicles manufactured during 1st April, 1991 to 31st March, 1996, type approval norms as applicable under these rules during the year 1991 shall be applicable. For vehicles manufactured during 1st April, 1996 to 31st March, 2000, type approval norms as applicable under these rules during the year 1996 shall be applicable. For vehicles manufactured after 1st April, 2000, the next enforcement of emission norms, type approval norms as applicable on 1st April, 2000 under these rules shall be applicable. For purposes of Liquid Petroleum Gas kit approval, the kit supplier shall obtain certificate from any of the test agencies authorized under rule 126.

(b) for retrofitment of liquid petroleum gas kit on in-use gasoline vehicle, no mass emission test shall be carried out on gasoline mode.

(c) such vehicle shall be capable of bi-fuel operation such as Liquid Petroleum Gas and petrol.

(d) prevalent Conformity of Production Procedure under these rules shall also be applicable.

(e) separate type approval of kits shall be required for 'carburetted and electronically controlled' gasoline fuel injected vehicles when converted for Liquid Petroleum Gas(LPG) operation.

3.(a) Liquid Petroleum Gas kit approved on gasoline vehicle for a specific model and engine capacity of such vehicle can be installed on different vintage of vehicle model and its variant subject to the condition that the validity of Liquid Petroleum Gas kit for the purposes of retrofitment shall be based on worst case criteria principle, that is, if the kit is approved for a specific model and specific engine capacity of vehicle manufactured in the year 1985 and meets Conformity Of Production (COP) norms (gasoline) as applicable under these rules during the year 1991, the same kit can be installed on any of the vehicles of the same model and engine capacity manufactured during the year 1985 to 1991. For the vehicle manufactured during the years 1991 to 1996, if the kit is approved on a vehicle manufactured after 1st April, 1991 and meets type approval norms as applicable under these rules on 1st April, 1991, the same kit can be installed on the same model and engine capacity manufactured during the years 1991 to 1st April, 1996. Such principle shall also be applied in respect of vehicles manufactured during period between 1st April, 1996 to 1st April, 2000.

(b) Special exemption shall be available for kits fitted on vehicles manufactured after 1st April, 1991. In case a kit fitted on a vehicle manufactured in the year 1991 and after 1st April, 1991, meets the India Stage I or Bharat Stage II norms under these rules, the same kit can be installed on the same model and engine capacity along with its variants, manufactured up to the validity of such India Stage I or Bharat Stage II norms respectively. In case the kit installed in a vehicle manufactured after 1st April, 1991 and before 1st April, 2000, meets any of the norms specified during such period under these rules, the same kit can be installed on any vehicle manufactured between 1st April, 1991 to 1st April, 2000.

(c) For new vehicle fitment, responsibility of type approval under these rules and continued compliance thereto, shall be on the

vehicle manufacturer. For retrofitment of kit on in-use vehicles, the responsibility of type approval under these rules and continued compliance thereto shall be on the kit manufacturer or importer of the kit, as the case may be.

4. (a) The type approval of Liquid Petroleum Gas kit retrofitment under these rules shall be valid for three years from the date of such approval and shall be renewable for three years at a time.

(b) The retrofitment of Liquid Petroleum Gas kits for in-use vehicles under these rules, shall be carried by workshops authorized by the kit manufacturer or kit supplier, who shall have to comply with the conditions or guidelines as may be issued by the Central Government in this regard.

(c) Safety requirements and other procedures or guidelines for Liquid Petroleum Gas converted vehicles shall be as determined by the Central Government from time to time keeping in view the safety of vehicles and emission norms for protection of environment.

(d) The type approval of a conversion kit under this rule may be revoked by the approving authority if the kit or any component thereof is found to be unsafe in service or if the circumstances of use of the conversion kit or any component thereof is altered from as specified in these rules".

[F. No. RT-11011/33/2000-MVL]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

NOTE: **The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification number G.S.R. 590(E) dated the 02nd June, 1989 and were last amended vide notification number G.S.R. 642(E), dated the 28th July, 2000**

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.